कार्यालय जिला पंजीयक छिन्दवाड़ा म0प्र0

परिशिष्ट–ब

प्रतिमाह पंजीबद्ध हस्तांतारण विलेखों की जानकारी

उप पंजीयक कार्यालय का नाम	माह जिस तक जानकारी प्रेषित की गई
1. छिन्दवाड़ा	माह जून 2017 तक
2. पांढुर्णा	माह जून 2017 तक
3. सौंसर	माह जून 2017 तक
4. परासिया	माह जून 2017 तक
5. जुन्नारदेव	माह जून 2017 तक
6. चौरई	माह जून 2017 तक
7. अमरवाड़ा	माह जून 2017 तक

टीप :– छिन्दवाड़ा जिले के समस्त उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा साफ्टकॉपी में जानकारी भेजी गई है ।

7.7.2017

जिला पंजीयक
छिन्दवाड़ा

18.7
अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

परिशिष्ट - "अ"

(4) तहसीलदार हितबध्द व्यक्तियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् तथा ऐसी अतिरिक्त जाँच, जैसी कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् क्षेत्र–पुस्तक तथा अन्य सुसगंत भू-अभिलेखो में आवश्यक प्रविष्टि करेगा।

111. सिविल न्यायाधीशों की अधिकारिता .- सिविल न्यायलयो को, किसी भी ऐसे अधिकार से, जो अधिकार अभिलेख में अभिलिखित हो, सम्बन्धित किसी भी ऐसे विवाद को विनिश्चित करने की अधिकारिता होगी जिसमें राज्य सरकार न हो।

112. अन्तरणों के संबंध में रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों द्वारा प्रज्ञापना --- जब कोई ऐसी दस्तावेज , जिसके द्वारा किसी ऐसी भूमि, जो कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग में लाई जाती है, या जिसके कि संबंध में क्षेत्र पुस्तक तैयार की जा चुकी है, के संबंध में कोई हक या उस पर कोई भार सृजित किया जाना, समनुदेशित किया जाना या निर्वाचित किया जाना तात्पर्यित हो, भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का संख्यांक 16) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है, तो रजिस्टीकर्ता अधिकारी ,उस क्षेत्र पर, जिसमें कि वह भूमि स्थित है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को ऐसे प्ररूप में तथा ऐसे समयों पर, जैसा कि इस संहिता के अधीन के नियमों द्वारा विहित किया जाय, प्रज्ञापना भेजेगा।

113. लेखन सम्बन्धी गलतियों का शुद्धिकरण .- उपखंड अधिकारी ; किसी भी समय, लेखन समबन्धी किन्ही भी गलतियों को, तथा किन्हीं भी ऐसी गलतियों को, जिनके कि सम्बन्ध में हितबध्द पक्षकार यह स्वीकार करते हों कि वे अधिकार -अभिलेख में हूई हैं, शुध्द कर सकेगा या शुध्द करवा सकेगा

114. भू अभिलेख .- नक्शे तथा भू अधिकार पुस्तिकाओं के अतिरिक्त , प्रत्येक गावं के लिये खसरा या क्षेत्र पुस्तक (फील्ड बुक) और ऐसे अन्य भू-अभिलेख , जो कि विहित किये जायं, तैयार किये जायेगे

114.क. भू अधिकार एवं ण पुस्तिका .- (1) ऐसे प्रत्येक भूमि स्वामी, जिसका नाम धारा 114 के अधीन तैयार किये गये खसरे या क्षेत्र पुस्तक में प्रविष्ट है, के लिये यह बाध्यकर होगा कि वह किसी ग्राम में के अपने समस्त खातो के बारे में एक भू- अधिकार एवं ऋण पुस्तिका रखे जो ऐसी फीस के जैसी कि विहित की जाय, चुकाये जाने पर उसे दी जायगी

(2). भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका के दो भाग होंगे, अर्थात् भाग-1 जिसमें खाते पर के अधिकारों तथा खाते पर के विल्लंगमों (एन्कम्ब्रेंसेज) का उल्लेख रहेगा तथा भाग-2 जिसमें खाते पर के अधिकार , खाते के बाबत भू-राजस्व की वसूली तथा खाते पर के विल्लंगमों का उल्लेख रहेगा और उसमें निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होगी:

(एक) खसरा या क्षेत्र पुस्तक की उन प्रविष्टियों में से, जो किसी भूमिस्वामी के किसी से सम्बन्धित हो, ऐसी प्रविष्टियाँ जो कि विहित की जायँ;

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, भोपाल